

कार्यालय मुख्य अभियंता एवं महानिदेशक, सिंचाई प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान दादाबाड़ी कोटा

क्रमांक / आईएमटीआई / बीखा-1/2018-19 / 1503-49 दिनांक / 3/8/18

M/s SAINATH MOTORS,  
Opp. The Grand Chandiram Hotel,  
Chhavani Chouraha, Kota  
Mob.No.94141-87977

विषय:-संस्थान के शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाने हेतु बस/मिनी बस की वार्षिक दर संविदा ।  
सन्दर्भ:-आप द्वारा दी गई निविदा दिनांक 23.05.2018, नेगोसिएशन दिनांक 19.06.2018 एवं  
कारुन्टर आफर दिनांक 03.08.2018

सिंचाई प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा में आप द्वारा दिनांक 23.05.2018, नेगोसिएशन  
दिनांक 19.06.2018 एवं कारुन्टर आफर दिनांक 03.08.2018 को दी गई निविदा की दरें, स्वीकृत की  
जाती है

आपकी कार्य अवधि दिनांक 06.08.2018 से 05.08.2019 तक रहेगी ।

S.No.	Item	Sanctioned Rate (Rs) per K.M.
1	Rate contract for AC / Non AC Delux bus (2 x 2) 40 or 42 seater coach for educational tour within & outside the State of Rajasthan, in other States on rental for 300 km/day (minimum)	
A	Bus model - 2014 & above. 1) A.C. 2) Non A.C.	42.50 34.00
2	Rate contract for AC / Non AC Delux bus (2 x 1) 40 or 42 seater sleeper coach for educational tour within & outside the State of Rajasthan, in other States on rental for 300 km/day (minimum)	
B	Bus model - 2014 & above. 1) A.C. 2) Non A.C.	42.50 34.00
3	Rate contract for AC / Non AC MINI bus 18 TO 20 seater for educational tour within & outside the State of Rajasthan, in other States on rental for 300 km/day (minimum)	
C	MINI Bus model - 2014 & above. 1) A.C. 2) Non A.C.	29.00 21.00
4	Rate contract for AC / Non AC MINI bus 18 TO 20 seater for educational tour within & outside the State of Rajasthan, in other States on rental for 200 km/day (minimum)	
D	MINI Bus model - 2014 & above. 1) A.C. 2) Non A.C.	29.00 22.00

यह आदेश श्रीमान मुख्य अभियंता एवं महानिदेश महोदय द्वारा अनुमोदित है ।

शर्तें

1. निविदार यथा सम्भव शर्तें रहित होनी चाहिए।
2. धरोहर राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. निविदा के किसी भी भाग को या सम्पूर्ण निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निदेशक सिंचाई प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान के पास संरक्षित है।
4. निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि वह चालक के बेलन, डीजल/पेट्रोल की कीमत, सरकारी कर एवं परमिट की राशि को सम्मिलित करते हुए अपनी दरे देगा।
5. संस्थान की आवश्यकतानुसार निविदादाता को 24 घंटे के नोटिस पर वाहन उपलब्ध कराना होगा।
6. निविदादाता के द्वारा अच्छी कण्डीशन में मॉडल अनुसार वाहन मय ड्राईवर के उपलब्ध कराना होगा। यदि रास्ते में ये वाहन खराब हो जाता है तो इसकी मरम्मत निविदादाता के द्वारा तुरन्त करानी पड़ेगी।

अथवा दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा। चार घंटे की अवधि में दूसरा वाहन उपलब्ध न कराने पर या इस वाहन की शरम्त नही कराने पर संस्थान द्वारा निविदादाता के हर्जे खर्चे पर दूसरा वाहन किराये पर ले लिया जावेगा जिसकी जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

7. मुख्यतः वाहन का उपयोग पक्की सड़क पर ही किया जायेगा, लेकिन रास्ते में कच्ची सड़क आने पर या गन्तव्य स्थान तक केवल कच्ची सड़क उपलब्ध होने पर उस पर वाहन चलाना अनिवार्य होगा। यदि कार्य करते समय वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या निविदादाता के कर्मचारी को चोट लग जाती है तो उसका उत्तरदायित्व स्वयं निविदादाता का होगा।

8. सर्विस टैक्स एवं अन्य किसी भी प्रकार का व्यय/टैक्स/पेनल्टी इत्यादि निविदादाता को स्वयं ही वहन करना होगा। टोल टैक्स अन्य राज्य की एन्ट्री टैक्स का वहन रसीद के आधार पर संस्थान करेगा।

10. वाहन में बैठे प्रत्येक प्रशिक्षणार्थियों/अधिकारियों/कर्मचारियों इत्यादि का नियमानुसार बीमा रिक कवर करते हुये वाहन मालिक को बीमा कराना अनिवार्य है इस हेतु संस्थान द्वारा प्रथक से कोई राशि का भुगतान नही किया जावेगा तथा यह राशि दरों में सम्मिलित मानी जावेगी।
11. वाहन में कर्मचारियों (ड्राइवर एवं खलासी) को रहन खाने इत्यादि सभी खर्चे वाहन मालिक द्वारा वहन करने होंगे।
12. वाहन को अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी के निर्देशानुसार चलाना होगा यदि इस सेवा में किसी प्रकार की कमी रहती है तो 500/-रु. प्रति घंटे की दर से पेलेन्टी का भुगतान तथा अन्य कोई हर्जे नुकसान, वाहन मालिक से वसूल किया जावेगा।
13. वाहन आपूर्ति नही करने की दशा में वाहन मालिक के हर्जे खर्चे पर अन्य वाहन संस्थान के अधिकृत अधिकारी बाजार से व्यवस्था कर सकेंगे तथा इस अतिरिक्त राशि का भुगतान वाहन मालिक के बिल से वसूल किया जावेगा।
14. वातानुकूलित व्यवस्था चालू नही होने पर उन किमी के किराये साधारण बस की दर से किराया देय होगा तथा पेनल्टी के रूप में रुपये 100/-प्रति घंटा की दर से पेनल्टी का भुगतान बिल से काटा जावेगा।

अधिकारी बाजार से व्यवस्था कर सकेंगे तथा इस अतिरिक्त राशि का भुगतान वाहन मालिक के बिल से वसूल किया जावेगा।

31.12.19/2018 के दिनांक 14.8.18 के दिनांक 1000/1110 के 715-1581/1110 के 6-784

31.12.19 के दिनांक 14.8.18 के दिनांक 1000/1110 के 715-1581/1110 के 6-784

उपनिदेशक एवं सहा.

क्रमांक/आईएमटीआई/लेखा-1/2018-19/1543-49.

दिनांक 13/8/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक (प्रशिक्षण)
2. सहायक निदेशक (सम्पदा)
3. लेखा शाखा/केशियर/बिल लिपिक

उपनिदेशक एवं सहा.

**E-NIT NO 1 of 2018-19 ( Item No 08 )  
G-Schedule**

संस्थान के शैक्षणिक अमण हेतु बस / मिनी बस की वार्षिक दर

कार्य का नाम	संस्थान के शैक्षणिक अमण हेतु उपयोग हेतु बस / मिनी बस की वार्षिक दर
कार्य अवधि	संविदा
निविदा मूल्य	एक वर्ष
निविदा डाउनलोड	500/-
निविदा अपलोड	21.05.2018 (upto 6.00 pm )
निविदा खोलने की तिथि	22.05.2018 (upto 6.00 pm )
अनुमानित ठेका राशि	23.05.2018 (at 3.00 pm )
धरोहर राशि	6.00 लाख
	12000/-


S.No.	Item	Quoted rate (Rs) per K.M
1	Rate contract for AC / Non AC Delux bus (2 x 2) 40 or 42 seater coach for educational tour within & outside the State of Rajasthan, in other States on rental for 300 km/day (minimum)	
A	Bus model - 2014 & above.	
	1) A.C.	
	2) Non A.C.	
2	Rate contract for AC / Non AC Delux bus (2 x 1) 40 or 42 seater sleeper coach for educational tour within & outside the State of Rajasthan, in other States on rental for 300 km/day (minimum)	
B	Bus model - 2014 & above.	
	1) A.C.	
	2) Non A.C.	
3	Rate contract for AC / Non AC MINI bus 18 TO 20 seater for educational tour within & outside the State of Rajasthan, in other States on rental for 300 km/day (minimum)	
C	MINI Bus model - 2014 & above.	
	1) A.C.	
	2) Non A.C.	
4	Rate contract for AC / Non AC MINI bus 18 TO 20 seater for educational tour within & outside the State of Rajasthan, in other States on rental for 200 km/day (minimum)	
D	MINI Bus model - 2014 & above.	
	1) A.C.	
	2) Non A.C.	

Signature of contractor

DD & TA  
IMTI, KOTA

शर्तें

1. निविदाएं तथा सम्भव शर्तें रहित होनी चाहिए।
2. धरोहर राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. निविदा के किसी भी भाग को या सम्पूर्ण निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निदेशक सिवाई प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान के पास संरक्षित है।
4. सिवाई प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान के पास संरक्षित है कि वह चालक के वेतन, डीजल/पेट्रोल की कीमत, सरकारी कर एवं निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि वह चालक को वेतन, डीजल/पेट्रोल की कीमत, सरकारी कर एवं निविदादाता के आवश्यकतानुसार निविदादाता को 24 घंटे के नोटिस पर वाहन उपलब्ध कराना होगा।
5. संस्थान की आवश्यकतानुसार निविदादाता को मॉडल अनुसार वाहन मय ड्राईवर के उपलब्ध कराना होगा। यदि रास्ते निविदादाता के द्वारा अच्छी कण्डीशन में मॉडल अनुसार वाहन मय ड्राईवर के द्वारा तुरन्त करानी पड़ेगी अथवा दूसरा वाहन में ये वाहन खराब हो जाता है तो इसकी मरम्मत निविदादाता के द्वारा तुरन्त करानी पड़ेगी अथवा दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा। चार घंटे की अवधि में दूसरा वाहन उपलब्ध न करने पर या इस वाहन की मरम्मत नहीं उपलब्ध कराना होगा। चार घंटे की अवधि में दूसरा वाहन उपलब्ध न करने पर ले लिया जावेगा जिसकी कराने पर संस्थान द्वारा निविदादाता के हर्जे खर्चे पर दूसरा वाहन किराये पर ले लिया जावेगा जिसकी जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
7. मुख्यतः वाहन को उपयोग पक्की सड़क पर ही किया जायेगा, लेकिन रास्ते में कच्ची सड़क आने पर या गन्तव्य स्थान तक केवल कच्ची सड़क उपलब्ध होने पर उस पर वाहन चलाना अनिवार्य होगा।
8. यदि कार्य करते समय वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या निविदादाता के कर्मचारी को चोट लग जाती है तो उसका उत्तरदायित्व स्वयं निविदादाता का होगा।
9. सर्विस टैक्स एवं अन्य क्रिसी भी प्रकार का व्यय/टैक्स/पेनल्टी इत्यादि निविदादाता को स्वयं ही वहन करना होगा। टोल टैक्स अन्य राज्य की एन्ट्री टैक्स का वहन रसीद के आधार पर संस्थान करेगा। रिस्क कवर करते वाहन में बैठे प्रत्येक प्रशिक्षणार्थियों/अधिकारियों/कर्मचारियों इत्यादि का नियमानुसार बीमा रिस्क कवर नहीं हुआ वाहन मालिक को बीमा कराना अनिवार्य है इस हेतु संस्थान द्वारा प्रथम से कोई राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा तथा यह राशि दरों में सम्मिलित मानी जावेगी।
11. वाहन में कर्मचारियों (ड्राईवर एवं खलासी) को रहने खाने इत्यादि सभी खर्चे वाहन मालिक द्वारा वहन करने होंगे।
12. वाहन को अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी के निर्देशानुसार चलाना होगा यदि इस सेवा में किसी प्रकार की कमी रहती है तो 500/-रु. प्रति घंटे की दर से पेनेल्टी का भुगतान तथा अन्य कोई हर्जे नुकसान, वाहन मालिक से वसूल किया जावेगा।
13. वाहन आपूर्ति नहीं करने की दशा में वाहन मालिक के हर्जे खर्चे पर अन्य वाहन संस्थान के अधिकृत अधिकारी बाजार से व्यवस्था कर सकेंगे तथा इस अतिरिक्त राशि का भुगतान वाहन मालिक के बिल से वसूल किया जावेगा।
14. यातानुकूलित व्यवस्था चालू नहीं होने पर उन किमी के किराये साधारण बस की दर से किराया देय होगा तथा पेनेल्टी के रूप में रुपये 100/-प्रति घंटा की दर से पेनेल्टी का भुगतान बिल से काटा जावेगा।

  
उपनिदेशक एवं तक.सहायक

हस्ताक्षर निविदादाता

आई.एम.टी.आई. कोटा